भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.: *332

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

***332. श्री ए. राजा:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या छात्रवृत्तियों के संवितरण में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं और इससे विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितने लाभार्थी प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां समय पर जारी करने और उनके लिए बनाई गई सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के संबंध में श्री ए. राजा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *332, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल 19,216.46 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में संवितरित की गई राशि का वर्षवार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ): अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति तथा अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनमें संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना हिस्सा जारी किए जाने के बाद विभाग केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय हिस्सा जारी करता है।

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) और अनुसूचित जातियों के लिए टॉप-क्लास शिक्षा योजना (टीसीएस), केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) के अंतर्गत, भारतीय मिशनों को प्राधिकार पत्र (एलओए) के माध्यम से अग्रिम रूप से निधियां जारी की जाती हैं। टॉप-क्लास शिक्षा योजना (टीसीएस) के तहत निधियां सीधे पात्र छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से जारी की जाती हैं।

विभाग नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी सहायता, राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से छात्रवृत्तियों के विलंबित वितरण जैसे मुद्दों के समाधान हेतु योजनाओं की समीक्षा करता है।

लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से भुगतान प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है और विलंब कम हो गया है।

संलग्नक

'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' के संबंध में श्री ए. राजा द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *332, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान संवितरित की गई कुल राशि:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5475.42	5562.26	6186.95	17224.63
2.	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	446.66	460.90	562.36	1469.92
3.	टॉप क्लॉस शिक्षा योजना (टीसीएस)	83.84	103.26	117.19	304.29
4.	अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना	88.56	74.17	54.89	217.62
	कुल	6094.48	6200.59	6921.39	19,216.46

पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरण का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

{केंद्रीय सहायता (सीए) रुपये करोड़ में}

वित्त वर्ष		2023-24	2024-25	2025-26
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	200.50	605.71	513.52
2	असम	13.90	8.74	18.13
3	बिहार	21.29	23.97	45.18
4	चंडीगढ़	0.59	2.70	2.87
5	छत्तीसगढ़	36.14	39.96	53.60
6	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
7	दिल्ली	9.97	22.19	29.74
8	गोवा	0.04	0.08	0.0091
9	गुजरात	384.23	399.93	282.54
10	हरियाणा	120.59	94.89	127.91
11	हिमाचल प्रदेश	22.41	35.64	18.00
12	जम्मू और कश्मीर	4.68	4.09	4.19
13	झारखंड	31.39	45.04	32.96
14	कर्नाटक	421.09	422.90	334.22
15	केरल	119.17	160.70	72.60
16	मध्य प्रदेश	366.81	486.74	493.42
17	महाराष्ट्र	1652.98	929.92	1095.80
18	मणिपुर	1.94	6.76	4.36
19	मेघालय	0.00	0.10	0.14
20	ओडिशा	127.44	181.51	311.99
21	पुडुचेरी	2.86	3.20	2.24
22	पंजाब	284.87	410.42	525.61
23	राजस्थान	147.13	180.59	220.73
24	सिक्किम	0.52	0.44	0.54
25	तमिलनाडु	713.70	1032.09	1034.94
26	तेलंगाना	0.00	0.00	213.79
27	त्रिपुरा	40.93	51.61	54.22
28	उत्तर प्रदेश	674.83	366.02	617.64
29	उत्तराखंड	12.94	19.69	20.14
30	पश्चिम बंगाल	62.48	26.63	55.93
	कुल	**5475.42**	**5562.26**	**6186.95**

2. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

{केंद्रीय सहायता (सीए) रुपये करोड़ में}

वित्त वर्ष		2023-24	2024-25	2025-26
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	56.14	0.03	62.23
2	असम	0.00	0.70	1.14
3	बिहार	15.76	3.35	40.45
4	चंडीगढ़	0.38	0.31	0.15
5	छत्तीसगढ़	8.88	5.04	4.87
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
7	दिल्ली	0.16	0.19	0.12
8	गोवा	0.00	0.00	0.00
9	गुजरात	57.59	42.82	19.91
10	हरियाणा	0.00	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	7.70	2.85	11.30
12	जम्मू और कश्मीर	0.54	0.82	0.90
13	झारखंड	0.00	14.30	11.01
14	कर्नाटक	49.21	58.31	67.86
15	केरल	2.56	18.21	1.14
16	मध्य प्रदेश	0.00	81.00	50.48
17	महाराष्ट्र	0.00	0.11	2.47
18	मणिपुर	0.26	0.30	0.41
19	मेघालय	0.00	0.00	0.00
20	ओडिशा	7.08	18.20	27.59
21	पुडुचेरी	0.15	0.14	0.12
22	पंजाब	21.65	8.78	48.00
23	राजस्थान	28.23	8.66	25.66
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.02
25	तमिलनाडु	70.56	109.45	121.49
26	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	0.67	1.93	2.38
28	उत्तर प्रदेश	79.66	62.80	19.22
29	उत्तराखंड	3.12	3.12	3.22
30	पश्चिम बंगाल	36.36	19.48	40.22
	कुल	**446.66**	**460.90**	**562.36**

3. 'अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना' (श्रेयस-एससी) एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए राज्य-वार/जिला-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है।

(i) <u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लॉस छात्रवृत्ति (टीसीएस):</u>

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	जारी की गई निधि
2023-24	83.84
2024-25	103.26
2025-26	117.19
कुल	**304.29**

(ii) अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	जारी की गई निधि
2023-24	88.56
2024-25	74.17
2025-26	54.89
कुल	**217.62**
